



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2715522 E-mail: modelschoolrcse@gmail.com



क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/मॉडल स्कूल/प्रवेश प्रक्रिया-170-11/पार्ट-1/

दिनांक : As Per Rajkaj

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समसा, संबंधित जिले।

विषय:- सत्र 2024-25 के लिए स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों की कक्षा-11 में प्रवेश के संबंध में।
संदर्भ:- राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग का पत्र क्रमांक प. 4 (5) शक्षा-1/2015 दिनांक 30.03.2017,
प(15)शिक्षा-1/मॉ.स्कूल 2017 पार्ट जयपुर दिनांक 19.08.2021 एवं पत्रांक 4(15)शिक्षा-1/मॉ.स्कूल 2017
पार्ट जयपुर दिनांक 17.06.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सत्र 2024-25 में राज्य में संचालित 134 मॉडल विद्यालयों में कक्षा-11 में विज्ञान संकाय के लिए प्रतिशत की बाध्यता नहीं है। परन्तु अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड के लिए रिक्त सीटों पर शत प्रतिशत प्रवेश हेतु कक्षा-10 में समेकित प्राप्तांक तथा संबंधित विषय के प्राप्तांक में निम्नानुसार छूट देते हुए प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जावे :-

क्र. सं.	सीबीएसई से संबद्ध स्कूल/मॉडल स्कूल/अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध स्कूल	दिनांक 30.03.2017 को जारी प्रवेश नीति के अनुसार गणित संकाय/जीव विज्ञान संकाय के लिए समेकित प्राप्तांक	दिनांक 30.03.2017 को जारी प्रवेश नीति के अनुसार गणित/जीव विज्ञान संकाय के लिए संबंधित विषय के प्राप्तांक
1	मॉडल स्कूल में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु	प्रतिशत की बाध्यता नहीं।	
2	मा. शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	66.50 प्रतिशत	65%
3	अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड	72.2 प्रतिशत	71 से 80% (B1ग्रेड)

सत्र 2024-25 में राज्य में संचालित 134 मॉडल स्कूलों में कक्षा-11 में रिक्त सीटों पर प्रवेश जिला स्तर पर गठित प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1.	मॉडल विद्यालयों में कक्षा-11 में रिक्त सीटों पर पात्र आवेदकों से प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	24 जून, 2024
2.	चयनित आवेदकों की सूची जारी करना	27 जून, 2024
3.	चयनित आवेदकों से समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर प्रवेश दिया जाना	29 जून, 2024

मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश नीति में संशोधन के अनुसार "संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों के स्थान पर सर्वप्रथम संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात् कक्षाओं में सीट रिक्त रहने पर ही शहरी परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे।"

अतः तदनुसार पालना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(अविचल चतुर्वेदी)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, रास्कूशिप. एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, रास्कूशिप., जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर, पाली, जयपुर, जोधपुर, चूरू, भरतपुर, कोटा, उदयपुर एवं अजमेर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित ब्लॉक्स को देकर लेख है कि उक्तानुसार कक्षा-11 में शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्त किया जावे।
7. संस्था प्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, संबंधित ब्लॉक, उक्तानुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही कर कक्षा-11 में शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्त करें।
8. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

RajKaj Ref
7822959

